

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 पर कयि हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

30 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 पर हस्ताक्षर कयि। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 25 जुलाई, 2022 को पारित कयि गया था।

प्रमुख बिंदु

- इस संशोधन अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उपधारा (2) में परिवर्तन कयि गया है।
- इस संशोधन के पश्चात् छत्तीसगढ़ स्वामी वविकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति की पदावधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, कयि गया है। साथ ही, उसकी दो-से-अधिक पदावधि की न्युक्ति की पात्रता के निर्बंधन को भी समाप्त कयि गया है।
- इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा(1) के खंड (आठ) एवं (नौ) को, खंड (आठ), (नौ) एवं खंड(दस) से प्रतस्थापित कयि गया है। इस संशोधन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/ भिलाई इस्पात संयंत्र(बीएसपी), भिलाई के पदेन प्रभारी नदिशक/सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक नदिशक(कार्मिक और प्रशासन) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान कयि गया है।